

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जून 2016—ज्येष्ठ 25, शक 1938

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2016

क्र. एफ 12-12-16-4-पच्चीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, प्रतिवर्ष प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी को संत रविदास कर्मण पुरस्कार से सम्मानित करने हेतु निम्नानुसार नियम निर्मित करता है:—

1. नाम.—यह नियम मध्यप्रदेश संत रविदास कर्मण पुरस्कार नियम, 2016 कहलायेंगे. ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में राज्य शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे.

2. (अ) अनुसूचित जाति वर्ग से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये घोषित अनुसूचित जाति वर्ग की जातियों की सूची से है.

(ब) मध्यप्रदेश निवासियों से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मूलनिवासियों को पात्रता हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाले व्यक्ति से है.

(स) जूरी से अभिप्राय इन नियमों के अंतर्गत गठित निर्णायक मण्डल से है.

3. उद्देश्य.—संत शिरोमणी रविदास जी महाराज का सामाजिक जागरण, समरसता, सद्भव समाज सेवा तथा अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है. प्रदेश में निवासरत् अनुसूचित जाति वर्ग के विकास और कल्याण तथा आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से राज्य शासन विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित कर रहा है. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रदेश में प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के उद्यमियों को बड़ी संख्या में उनकी अभिरूची के अनुसार व्यवसायों में स्थापित किया जाता है. ऐसे अनेक उद्यमियों ने अपने व्यवसाय को अल्प समय में एक सम्मानजनक स्थिति में स्थापित किया है जो दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी है.

4. पुरस्कारों का स्वरूप.—मध्यप्रदेश संत रविदास कर्मण पुरस्कार रुपये 5.00 लाख नगद एवं प्रशंसा पट्टिका के रूप में दिया जायेगा. पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य के निवासी तथा राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्थापित सफल व्यवसायों में अग्रणी उपलब्धि प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के उद्यमी को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु हर वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त जूरी की ओर से चयन करने पर दिया जायेगा. उक्त पुरस्कार की नगद राशि एकाधिक व्यक्तियों के मध्य विभाजित भी हो सकती है.

5. **जूरी का गठन.**—राज्य शासन विभिन्न विशेष कार्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिकों में से प्रतिष्ठित समाज सेवा, प्रशासक अथवा अन्य नागरिकों में से कम से कम तीन और अधिक से अधिक 5 सदस्यों को जूरी (निर्णायक मण्डल) का गठन करेगा जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा:—

- (1) माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग—अध्यक्ष.
- (2) प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग—सदस्य.
- (3) तीन प्रतिष्ठित उद्यमी / प्रशासक अथवा अन्य नागरिक (माननीय अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रीजी द्वारा मनोनीत)—सदस्य.
- (4) आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास—सदस्य सचिव.

6. **जूरी की शक्तियां,**—(1) जूरी प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये अलग-अलग गठित की जावेगी.

(2) जूरी के द्वारा किया गया चयन अंतिम और शासन के लिये बंधनकारी होगा.

(3) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जायेगी.

(4) संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिये प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा भी जूरी अपने स्वविवेक से ऐसे किसी नाम/किन्हीं नामों पर विचार कर सकेगी. जिन्हें पुरस्कारों के उद्देश्यों के अनुरूप पायें.

(5) सामान्यतः प्रत्येक वर्ग के पुरस्कार के लिये एक ही उद्यमी का चयन होगा किन्तु जूरी यदि आवश्यक समझेगी तो वह एक पुरस्कार के लिए एक से अधिक समाजसेवियों को राशि संयुक्त रूप से प्रदान कर सकेगी.

(6) जूरी के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिये आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड ए के समकक्ष रेल/वायुयान से यात्रा की श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता दिया जायेगा.

7. **चयन की प्रक्रिया.**—पुरस्कारों के लिये उत्कृष्ट उद्यमी के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

(1) जिस वर्ष के लिये पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष की प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अप्रैल माह में प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार-पत्रों / पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा. प्रविष्टियां प्रस्तुत/प्रेषित करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिये मान्य नहीं की जायेंगी परन्तु विज्ञप्ति जारी करने आदि के समय में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा.

(2) प्रविष्टी उद्यमी द्वारा स्वयं अथवा उसकी ओर से उसके सेवाकाल में सुपरिचित व्यक्ति अथवा संगठन राज्य शासन की निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत करेंगे :—

(क) उद्यमी का पूर्ण परिचय.

(ख) संबंधित प्रतिष्ठित व्यवसाय में अग्रणी उपलब्धियां हासिल करने संबंधी विस्तृत जानकारी.

(ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार मिला हो तो उसका विवरण.

(घ) उत्कृष्ट उद्यम स्थापना कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रत्येक प्रतिवेदन की एक-एक प्रतिलिपियां.

(ड) चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में संबंधित उद्यमी की सहमति,—

- (अ) एक बार प्रस्तुत प्रविष्टियां तीन वर्ष तक विचारणीय होगी. तीन वर्ष से संबंधित सेवा के लिये कई प्रविष्टियां देना आवश्यक नहीं होगा किन्तु उपनियम (1) में प्रविष्टियां प्रस्तुत करने हेतु निहित अवधि में संबंधित उद्यम की पूरक का या अतिरिक्त विषय वस्तु विचारार्थ प्रस्तुत कराना चाहे तो समय-सीमा में प्राप्त इस प्रकार की पूरक अथवा अतिरिक्त विषय वस्तु विचारार्थ ग्राह्य होगी.
- (ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित उद्यमी की उपलब्धियां पुरस्कार के योग्य नहीं हैं. निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाले ऐसे उद्यमी जो तीन वर्षों की विचारणीय अवधि में पुरस्कार के लिये चयन नहीं हो सके हैं आगामी वर्षों में पुनः प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेंगे.
- (स) प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार एवं पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.
- (द) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा परन्तु राज्य शासन को एकाधिकार होगा कि जहां वह आवश्यक समझे अपने सूत्रों से दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कर सकेंगे.

8. चयन के मापदण्ड.—(1) पुरस्कार के लिये जूरी द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के उन उद्यमियों का चयन किया जायेगा जिन्होंने सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय को बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में स्थापित किया हो.

(2) जूरी के अशासकीय सदस्य-अपने लिये उस वर्ष के पुरस्कार के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे जिस वर्ष में पुरस्कार दिया जा रहा है.

(3) पुरस्कार के लिये भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के सेवा कार्यों का आंकलन आवश्यक है और उद्यम संचालन कार्य में उद्यमी की सक्रियता वर्तमान में भी रहना आवश्यक है.

(4) उद्यमी को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग की दीर्घकालिक सेवा की है तथा वे अब भी इस क्षेत्र में कार्यशील हैं अर्थात् पुरस्कार केवल भूतकालिक सेवा उपलब्धियों के आधार पर नहीं मिलेंगे. सेवा के क्षेत्र में परिणाममूलक निरंतरता आवश्यक है.

(5) पुरस्कार चूंकि उद्यमी को अपना व्यवसाय अग्रणी के रूप में स्थापित करने के समग्र योगदान के आधार पर दिया जावेगा, इसलिये प्रतिष्ठित उद्यम स्थापना कार्य में ऐसे व्यक्ति को, एक व्यक्ति के रूप में किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिये.

(6) प्रतिष्ठित व्यवसायों के क्षेत्र में उद्यमी के योगदान का संबंधित क्षेत्र/वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिये.

(7) परम्परागत तरीकों से अलग हटकर सेवा के क्षेत्र में नवाचार (Innovation) अर्थात् नई पद्धति/नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

(8) उद्यमी मध्यप्रदेश राज्य के निवासी हो एवं उनका उद्यम मध्यप्रदेश राज्य में कार्यशील होना आवश्यक हो.

9. पुरस्कारों की घोषणा.—जूरी द्वारा जिस उद्यमी का चयन होगा उनके बारे में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जावेगी. उनसे सहमति प्राप्त होने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा राज्य पुरस्कार के लिये चयनित उद्यमियों के नामों की औपचारिक घोषणा की जावेगी. विभागीय वेबसाइट पर चयनित उद्यमी/उद्यमियों का नाम प्रकाशित किया जायेगा.

10. **अलंकरण समारोह.**—पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह शासन द्वारा प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मान स्वरूप संत रविदास स्मृति दिवक के आयोजन के अवसर पर आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिये चयनित उद्यमी को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में अपनी सहायता के लिये केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे जिसे उन्हीं के साथ यात्रा करने एवं ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी लेकिन उन्हें यात्रा भत्ता देय नहीं होगा. उद्यमी को रेल गाड़ी में शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष यात्रा की पात्रता रेल अथवा वायुयान से होगी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारी ग्रेड-ए के समान यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

11. **व्यय की सम्पूर्ति एवं वित्तीय शक्तियां.**—मध्यप्रदेश संत रविदास स्मृति सेवा राज्य पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये बजट में हर वर्ष समुचित वित्तीय प्रावधान रखा जावेगा एवं स्वीकृत मद पर व्यय की पूर्ण अधिकार आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश को होंगे.

12. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.**—अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को इन नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा.

13. **पुरस्कार से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव.**—आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, मध्यप्रदेश प्रतिवर्ष के पुरस्कार की प्रविष्टियों, चयनित उद्यमियों आदि का रिकार्ड वर्षवार के लिये एक अलग-अलग जिल्द में संधारित करेंगे. चयनित उद्यमी के जीवन चरित्र, सेवा कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक विवरणिका जारी की जावेगी जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग समाज सेवा पुरस्कार के उद्देश्य, स्वरूप तथा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति/व्यक्तियों के अद्यतन विवरण दिये जावेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक शाह, प्रमुख सचिव.